

कक्षा CLASS XII**केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड Central Board of Secondary Education**

क्षेत्रीय कार्यालय, दिल्ली REGIONAL OFFICE, DELHI

अंकों के सत्यापन के लिए प्रपत्र FORM OF APPLICATION FOR VERIFICATION OF MARKS

क्षेत्रीय अधिकारी

केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड

पी-एस, 1-2, इंस्टीट्यूशनल एरिया, आई.पी. एक्सटेंशन

पटपड़ गंज, दिल्ली-110092

The Regional Officer

Central Board of Secondary Education

PS-1-2, Institutional Area, I.P. Extn.

Patparganj, Delhi-110092

सी.बी.एस.ई. कैशियर/बैंक/स्कूल की मोहर

Stamp of the Cashier CBSE/Bank/School

..... रु. की राशि प्राप्त की।

Amt. Received Rs.....

रसीद सं.

Receipt No.

दिनांक

Date.....

कैशियर के हस्ताक्षर

Sign. of Cashier

महोदय, Sir,

मैं एतद्वारा अपने पुत्र/पुत्री/बच्चे के अंकों के सत्यापन के लिए, आवेदन कर रहा हूँ जो मार्च/जुलाई 2008 में सम्पन्न हुई परीक्षा में बैठे थे और जिनका विवरण नीचे दिया गया है :- I hereby apply for verification of marks of my son/daughter/ward who appeared in examination held in March / July 2008 in the subjects vide particulars mentioned below:-

अनुक्रमांक ROLL NO..... नाम NAME.....

विद्यालय का नाम Name of School.	विषय कोड संख्या Subject Code No.	विषय(यों) Subject(s)	माध्यम Medium	प्राप्तांक Marks obtained		
				लिखित Theory	प्रयोगात्मक Pract.	कुल Total
केन्द्र सं. Centre No.						
परीक्षा केन्द्र का नाम Name of Exam Centre.....						
विद्यालय का नाम जिसमें राशि जमा कराई गई Name of School Where amt. deposited.....						
रु. का शुल्क भुगतान किया Fees Paid Rs.....						
डी.डी./भा.पो.का./नकद रसीद सं..... DD/IPO/Cash Receipt No.....						
दिनांक Date.....						

मैं एतद् द्वारा यह अभिवचन देता हूँ कि अंकों के सत्यापन के आधार पर यदि कम अंक पाए गए तो मैं उन्हें स्वीकार करुंगा/करुंगी।

I hereby undertake to accept the lower marks if the same is established on the basis of verification of marks.

परीक्षार्थी का नाम और पता

Name and Address of the Candidate

नाम Name.....

.....

.....

पिन कोड Pin code

टिप्पणी : (1) फार्म को सही और स्वच्छता से भरा जाए। (1) Note : Form must be filled correctly and neatly

(2) यदि परीक्षार्थी अपंग है तो विवरण दे। (2) Please give details, in case the candidate is handicapped.

भवदीय,

Yours faithfully,

(आवेदक के हस्ताक्षर) (Signature of Applicant)

नाम Name.....

दूरभाष अगर कोई हो तो Tele. No. if any.....

(i) बाड द्वारा संचालित परीक्षा में उपस्थित होने वाला विद्यार्थी किसी विषय विशेष में अंकों के सत्यापन हेतु बोर्ड के संबंधित क्षेत्रीय अधिकारी को आवेदन कर सकता है। सत्यापन में केवल यह देखा जाएगा की सभी उत्तरों का मूल्यांकन किया गया है और उस विषय में प्रत्येक प्रश्न के अंकों के कुल योग में कोई त्रुटि तो नहीं है और यह कि उत्तर-पुस्तिका के मुख-पृष्ठ पर और फिर मुख पृष्ठ से-एवार्ड-लिस्ट में अंकों को सही रूप से अंतरित किया गया है। तत्पश्चात् यह भी देखा जाएगा कि परीक्षार्थी द्वारा उल्लिखित पूरक उत्तर-पुस्तिका(ए) मुख्य उत्तर-पुस्तिका के साथ संलग्न है। उत्तर-पुस्तिका या पूरक उत्तर-पुस्तिका(ओं) का पुनः मूल्यांकन नहीं किया जाएगा।

A candidate who has appeared at an examination conducted by the Board may apply to the concerned Regional Officer of the Board for verification of marks in any particular subject. The verification will be restricted to checking whether all answers have been evaluated and that there has been no mistake in the totalling of marks for each question in that subject and that the marks have been transferred correctly on the title page of the answer book and to the award list and whether the supplementary answer book (s) attached with the answer book mentioned by the candidate are intact. No revaluation of the answer book or supplementary answer book(s) shall be done.

(ii) ऐसे आवेदन पत्र परीक्षार्थी द्वारा मुख्य परीक्षा का परिणाम घोषित होने के 21 दिनों के भीतर और पूरक परीक्षा के परिणाम घोषित होने के 15 दिनों के भीतर अवश्य प्रस्तुत किए जाने चाहिए।

Such an application must be made by the candidate within 21 days from the date of the declaration of results for main exam. and within 15 days for Compartment exam.

(iii) ऐसे सभी आवेदनों के साथ बोर्ड द्वारा निर्धारित शुल्क अर्थात् 100 रु. प्रति विषय के हिसाब से भुगतान किया जाए। All such applications must be accompanied by payment of fee as prescribed by the Board i.e. Rs 100/- per subject.

(iv) कोई भी परीक्षार्थी अपनी उत्तर-पुस्तिका(ओं) या अन्य किसी दस्तावेजों के निरीक्षण या प्रकटन अथवा उत्तरों के पुनः मूल्यांकन के न तो हकदार होंगे और न ही इस प्रकार का दावा करेंगे।

No candidates shall claim, or be entitled to, revaluation of his/her answers or disclosure or inspection of the answer book(s) or other documents.

(v) परीक्षार्थी शुल्क की वापसी के हकदार नहीं होंगे जब तक अंकों के सत्यापन में उनके अंकों में परिवर्तन न हो।

A candidate shall not be entitled to refund of fee unless as result of the verification his/ her marks are changed.

(vi) किसी भी मामले में, अंकों का सत्यापन परीक्षार्थी अथवा उनकी ओर से किसी अन्य की उपस्थिति में नहीं किया जाएगा और ना ही उसे अथवा उनके किसी प्रतिनिधि को उत्तर-पुस्तिकाएं दिखाई जाएंगी।

In no case the verification of marks shall be done in the presence of the candidate or any one else on his/her behalf, nor will the answer books be shown to him/her to his/her representative.

(vii) परीक्षार्थी द्वारा उनकी उत्तर-पुस्तिका में प्राप्त किए गए अंक सत्यापन कराने पर घट-बढ़ सकते हैं।

The marks, on verification will be revised upward or downward, as per the actual marks obtained by the candidate in his/her answer book.

(viii) अंकों के संशोधन के संबंध में जानकारी, यदि कोई हो, तो वह जानकारी परीक्षार्थी को एक तर्कसंगत अवधि में भेजी जाएगी।

The communication regarding the revision of the marks, if any, shall be sent to the candidate within a reasonable period of time.

(ix) अंको के संशोधन के परिणामस्वरूप या नियंत्रण के बाहर के कारणों से परीक्षार्थी को होने वाली किसी प्रकार के नुकसान, या क्षति या असुविधा के लिए बोर्ड जिम्मेवार नहीं होगा।

The Board will not be responsible for any loss or damage or any inconvenience caused to the candidate, consequent on the revision of marks or delay in communication for reasons beyond control.

(x) बोर्ड द्वारा ऐसे परीक्षार्थियों की अंक विवरणिका तभी संशोधित की जाएगी, जब वे पिछली अंक-विवरणिका वापस करेंगे।

The Board shall revise the marks statement in respect of such candidates after the previous marks statement is returned by the candidate.

(xi) अंकों के सत्यापन के परिणाम के संबंध में अध्यक्ष महोदय का निर्णय अन्तिम होगा।

The decision of the Chairman on the result of the verification of marks shall be final.